



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म०प्र)

ईमेल:- deanratlam@gmail.com

वेबसाईट :- www.emcratlam.org

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएँ

क्रमांक : 5579 /स्था/जी.एम.सी./2021

रतलाम,दिनांक :- 22/6/21

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 803/स्था./अराज/2018 भोपाल दिनांक 20.09.2018 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूची के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम अन्तर्गत स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों पर एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी विज्ञापन के अनुसार प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत वेतनमान रूपये 28700/- सातवें वेतनमान अनुसार (वेतन लेवल 5) निम्नांकित स्टॉफ नर्स को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक इस स्वशासी संस्था में नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	रिमांक
1	2	3	4	5
1	निशा निषाद	बेदी प्रसाद	OBC	
2	नेहा रजक	मनू लाल रजक	OBC	
3	आरती हल्दकार	अविनाश चौहान	OBC	
4	गायत्री धाकड	लक्ष्मीनारायण	OBC	
5	आरती बैस	भगवत प्रसाद	OBC	
6	सुमित्रा	सोहनलाल	OBC	
7	रीना पंवार	कैलाशचन्द्र पंवार	OBC	
8	दामिनी	रघुनाथ	OBC	
9	योगेश्वरी बारगे	भद्रू बारगे	OBC	
10	पूजा बगेडिया	आशीष बगेडिया	OBC	
11	शिल्पा राठौर	कैलाश चन्द्र राठौर	OBC	
12	पूजा प्रजापति	द्वारका प्रजापति	OBC	
13	प्रीता वर्मा	एस.एल. वर्मा	OBC	
14	प्रतिभा धोटे	रमेश कुमार धोटे	OBC	
15	प्राची साहू	सेवकराम साहू	OBC	
16	सपना जोशी	लखन लाल	OBC	
17	दुर्गा हरोडे	करम चंद हरोडे	OBC	
18	सुषमा रजक	कोमल चन्द्र रजक	OBC	
19	दीपिका कटियार	जयासम सिंह कटियार	OBC	
20	अनिता देवी पटेल	हीरा मनी पटेल	OBC	
21	पूनम यादव	सीताराम यादव	OBC	
22	प्रियंका प्रजापति	जगन्नाथ प्रजापति	OBC	
23	राखी परिहार	महादेव परिहार	OBC	
24	सुषमा राजपूत	राजवीर सिंह	OBC	
25	रितु चौधरी	प्रकाश चौधरी	OBC	
26	प्रियंका सिंह	गया प्रसाद सिंह	OBC	
27	मनीषा	शेषराव पवार	OBC	


DEAN
Government Medical College
Raigarh (M.P.)

निरंतर2

(2)

28	रोशनी कुशवाह	भगवान कुशवाह	OBC	
29	सरोज कुशवाह	बाबूलाल कुशवाह	OBC	
30	रेखा पाटनकर	शंकर पाटनकर	OBC	
31	चेतना पाटीदार	जगदीशचन्द्र	OBC	
32	शिल्पी	हेमराज	OBC	
33	विध्या धाकड़	रामेश्वर लाल धाकड़	OBC	
34	मधुबाला पाटीदार	अम्बाराम पाटीदार	OBC	
35	प्रीती मोंगरे	सुखमन दास	OBC	
36	प्राची पाल	कौशिक पाल	OBC	
37	भारती	बाबूलाल	OBC	
38	मीनाक्षी राठौर	राकेश राठौर	OBC	
39	मीना ठाकुर	चैन सिंह ठाकुर	OBC	
40	रानी साहू	जगदीश साहू	OBC	
41	रिया पाटीदार	राधेश्याम पाटीदार	OBC	
42	सोनू पटेल	भाईराम पटेल	OBC	
43	ज्योति मारु	मुन्नालाल	OBC	
44	चेतना नरवरे	कैलाश नरवरे	OBC	
45	प्रिया बर्मन	शिव प्रसाद बर्मन	OBC	
46	ललिता राठौर	सोहन लाल	OBC	
47	साधना	कैलाश चिकाने	OBC	
48	सुमन धाकड़	द्वारिका धाकड़	OBC	
49	पूजा	नटवर लाल	OBC	
50	पूजा केसरिया	जगदीश केसरिया	OBC	
51	प्रीति पटेल	राम लखन पटेल	OBC	
52	अर्चना वर्मा	विनोद कुमार पतवार	OBC	
53	ममता चौधरी	रामचन्द्र	OBC	
54	पूजा पाटीदार	दिनेशचन्द्र पाटीदार	OBC	
55	कृतिका पाल	बालमुकुन्द	OBC	
56	रजनी नरवरिया	जनक सिंह नरवरिया	OBC	
57	सुनयना पटेल	मुनिराज पटेल	OBC	
58	सोना चौधरी	राम चन्द्र चौधरी	OBC	
59	दीपांशी चौरसिया	घनश्याम	OBC	

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर 2000 में दिये गये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि हर प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
- यह नियुक्ति अपि आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।

निरंतर3

Amey
Dean
Govt Medical College
Ratlam (M.P.)

- 5) नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एन.पी.एस. की पात्रता होगी जो उनके मूलवेतन से 10 प्रतिशत हेतु आधार पर या जो भी शासन द्वारा निर्धारित परवर्तित दर से काटा जायेगा एवं उतना ही भाग स्वशासी संस्था द्वारा अपने अंशदान स्वरूप के रूप में देय होगा।
- 6) चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- 7) आपकी सेवाएं किसी भी समय नियुक्ता द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- 8) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिदीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिदीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
- 9) आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- 10) इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधी समस्त प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- 11) आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- 12) एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं को स्थानान्तरित नहीं होगी।
- 13) उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करना होगी तथा मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
- 14) संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- 15) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
- 16) संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- 17) शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं यह परिवर्तन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
- 18) भविष्य में यदि कभी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 19) इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी भी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
- 20) बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के अवकाश पर नहीं जा सकेगी।
- 21) म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना की अधिसूचना क एफ 3597/2009/दो/सी-1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनमें जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से अत्यावश्यक सेवा संधरण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
- 22) स्टॉफ नर्स को न्युनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

क्रमांक : 5580-88 /स्था./जी.एम.सी./2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2) संभागायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।
- 3) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
- 4) संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
- 5) अस्पताल अधीक्षक सह संयुक्त संचालक, शा.चि.महा. रतलाम।
- 6) स्थानीय लेखा शाखा कार्यालय रतलाम की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिदीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिदीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- 7) सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय रतलाम।
- 8) संबंधित स्टॉफ नर्स की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9) कार्यालय आदेश नरित।

DEAN
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
 रतलाम, दिनांक :- 22/6/21

DEAN
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम